द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

सातवीं रिपोर्ट

विवाद समाधान हेतु क्षमता निर्माण

मनमुटाव से संयोजन तक

विवाद समाधान – एक समूह के लोगों के साथ पहचान की एक थोपी गई भावना प्रायः अन्यों पर अत्याचार करने का सशक्त साधन बन जाता है जिसका नतीजा घृणा और हिंसा होता है

बढ़ी हुई हिंसा का आधार विवाद है।

बीसवी शताब्दी के दौरान पिछली चार शताब्दियों को मिलाकर भी संघर्षों में तीन गुना लोग मारे गए।

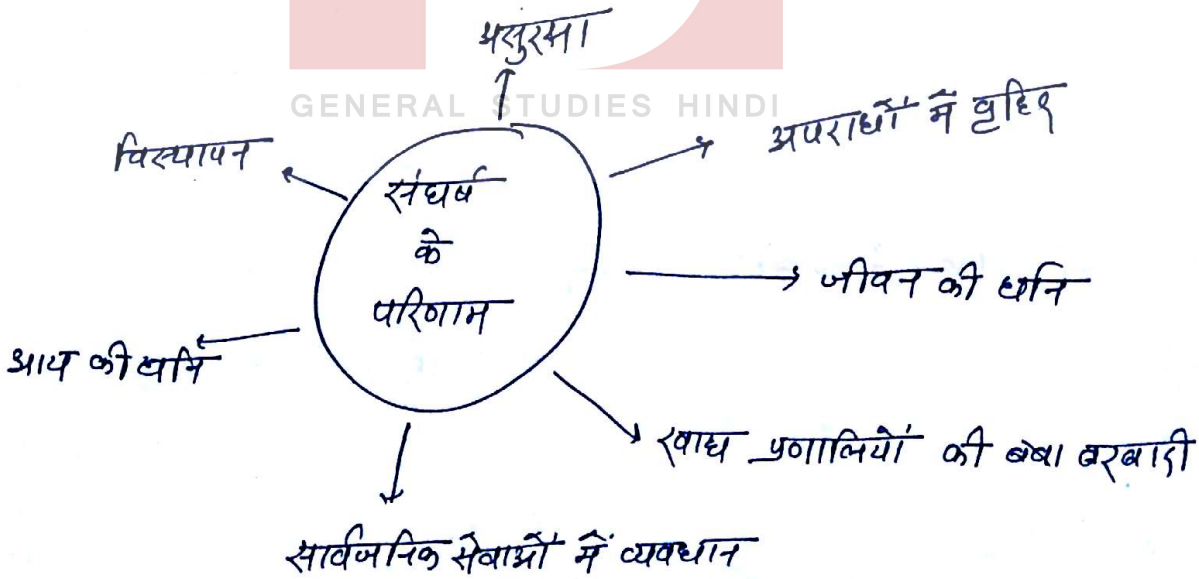

GENERAL STUDIES HINDI

* प्रारंभिक स्तर पर संघर्षों को रोकना / ~~समाधान~~ समाधान करना यह बाध्यकारी चुनौती है।

<u>संघर्ष के स्तर</u> :-

ठहराव

↑

विस्फोट – सम्मिलित (विरोधी पक्षकार) लोगों का ध्रुवीकरण
हिंसा हेतु £ मात्र चिंगारी की आवश्यकता

↑

सम्मिलित पक्षकार का रवैया आक्रामक होता है जिसे वे प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल व्यक्त करते हैं। ← तनाव में वृद्धि

↑

(संघर्ष पर काबू पाने का उपयुक्त समय) अंतर्निहित विवाद
- प्रशासन "अग्नि-शमन" उपायों में व्यस्त रहता है
- प्रशासन द्वारा प्रारंभिक लक्षणों की अनदेखी

↑

समाज संबंधी तनाव (निम्नवत् स्थिति समाज को भी संक्रमित करती है)

↑

वैयक्तिक तनाव – (ऐतिहासिक समाजार्थिक असमानताओं के कारण)
उपरोक्त स्थिति का आधार- घटिया शासन

यदि विवादों का उचित रूप से प्रबंधन नहीं किया गया

विवाद को बढ़ावा सरकारी तंत्र में (i) उपायों की कमी
(ii) स्थिति की असावधानीपूर्वक हैण्डलिंग

GENERAL STUDIES HINDI

विवाद समाधान और संविधान

भारत के बहु-जातीय राज्यों में प्रजातंत्र विवाद को नियंत्रित और शांत करने का सर्वाधिक सक्षम संसाधन साधन है

बहुतर, संघवाद व्यवस्था द्वारा अल्प-सुविधा प्राप्त वर्गों को समाजार्थिक लाभ प्रदान करना ताकि राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

अनुच्छेद 30 - अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार।

अनु 29 - अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार।

अनु० 27 -

अनु० 26 - धार्मिक मामलों में का प्रबंध करने की आज़ादी।

अनु० 25 - मुक्त व्यवसाय, धर्म का पालन और प्रचार की आजादी

GENERAL STUDIES HINDI

- उसके अलावा देश काल परिस्थिति के अनुकूल कानूनों में फेर-बदल संविधान संशोधन के माध्यम से।
- शैक्षिक अवसर एवं सार्वजनिक रोजगार के अवसर द्वारा समाधान।
- आरक्षण -
- व्यापक चर्चाओं के माध्यम से।
- सशक्त व स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा। (प्राधिकरणों के गठन द्वारा (नदी जल विवाद, राज्यों के बीच विवाद)

- जातीय और अलगाववादी विवादों के तहत मिजोरम, दार्जिलिंग मुद्दों के समाधान में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

जातीयता और अलगाववादी विवाद
- नागालैण्ड (1980)
- पंजाब
- कश्मीर

— जातीयता, धर्म, इलाके पर आधारित विवाद

→ भाषायी आधार पर विभिन्न राज्यों का गठन

<u>वर्तमान में विवाद के स्रोत</u> :-
- नदी जल विवाद
- भू-संबंधी विवाद
- असमानताएँ एवं सामाजिक तनाव
- गरीबी
- धार्मिक-साम्प्रदायिक मतभेद

<u>वाम उग्रवादी आंदोलन</u> :- वनवासियों को वनों से एवं आजीविका के स्रोतों से वंचित करना।

गरीबी एवं वंचना की समस्या

पृथक जीवनयापन एवं संस्कृति की अन्य वर्गों द्वारा मान्यता न होना।

GENERAL STUDIES HINDI

- इन सभी कारकों ने मिलकर उग्रवादी आंदोलन की उर्वरक भूमि तैयार की है। जैसे-जैसे वंचना बढ़ रही है यह भूमि उतनी ही उर्वरक बनती जा रही है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र - संवेदनशील इलाका जो विवादों से घिरा एवं भरा है। यह विवादों एवं असंतोष के लिए पोषक स्थल है।

- वर्तमान में 1/6 आबादी हिंसक संघर्षों के साए में रहती है।

चिन्तन बनाम जोखिमें :- बाहुबल के स्थान मनोबल को रिक्त जाए।

विवाद के समाधान हेतु अधिक चिंतन (बाहुबल के स्थान पर) आक्रामकता की बजाए अधिक धैर्य की आवश्यकता है।

आदर्शतः राज्य को विवाद की जड़ पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

GENERAL STUDIES HINDI